

2008/00002

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी- श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 17/2008

प्रार्थी

ओमप्रकाश पुत्र तेजमल जाति जैन
निवासी गुड़ामालानी तहसील
गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी
2. दिलीप कुमार पुत्र सोहनलाल
जाति सेवक निवासी गुड़ामालानी
तहसील, गुड़ामालानी




निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 200 दिनांक 20.11.2007 जो ग्राम पंचायत, गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थित:- 1. प्रार्थी ओमप्रकाश उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

निर्णय


दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 दिलीप कुमार पुत्र सोहनलाल ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम गुड़ामालानी की आबादी में उसका कब्जा सुदा आवासीय/दुकान का प्लोट आया हुआ है जिसका उसे पट्टा दिलाने की श्रम करावें। इस पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने मिसल संख्या 204 कायम कर अप्रार्थी दिलीप कुमार के नाम नियम 157(2) के तहत प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.2007 के अनुसरण में पट्टा संख्या 200 दिनांक 20.11.2007 को जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 को रास्ते की भूमि का एंव नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। इस पट्टा विलेख को रास्ते की भूमि एंव नियम विरुद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने दिनांक 29.03.2010 को जवाब पेश कर आवेदन पत्र के पद संख्या 01 से 03 (03 ए से 3ओ) गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का निगरानी आवेदन पत्र मय व्यय सहित खारिज करने का निवेदन किया।


जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित रहे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य का एक भूखण्ड गुड़ा-साचोर जाने वाली रोड पर पूर्व-पश्चिम 30 फीट एवं उतर दक्षिण 78 फीट आया हुआ है। इस भूमि पर प्रार्थी की बनने वाली दुकाने एवं मकान के मुख्य दरवाजे एवं बारियों की भूमि के आगे आम रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 दिलीप कुमार को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है और इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने दीवानी वाद संख्या 01/04 ओमप्रकाश बनाम सोहनलाल श्रीमान अतिरिक्त सिद्धि न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड.) में पेश किया, जो माननीय न्यायालय द्वारा वादी-प्रार्थी का वाद निर्णय दिनांक 11.09.2007 को खारिज किया गया है। जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर में अपील संख्या 34/09 प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन होना बताया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध तरीके से पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 दिलीप कुमार ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया है। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए हैं। इस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की है। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चर्चा कराया है नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.11.07 को नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस पर अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 20.11.2007 को पट्टा संख्या 200 जारी किया गया। इन नियमों के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप एवं अप्रार्थी का सुस्थपित कब्जा एवं रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी ने निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर, नियमों में


जिला कलक्टर
बाड़मेर

अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के हक में नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख दिनांक 20.11.2007 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एवं त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख पर दिनांक 11.12.2007 को विक्रय पत्र का निष्पादन कर उपपंजीयन कार्यालय गुड़ामालानी में पंजीयन करवा दिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 02 का इस पट्टा की भूमि पर स्वामित्व हासिल हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थी इसको साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।



निर्णय खुले न्यायालय कैम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

(Signature)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

(Signature)

जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर